न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज0)

बईजलास राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – 11/20

निर्णय दिनांक 26.06.2020

बउनवान

1. सोगा पुत्र भवाना आयु 72 वर्ष
2. उद्यम पुत्र सरवन आयु 46 वर्ष

जाति बंजारा निवासीगण ग्राम किशनपुरा तह0 कनवास जिला कोटा राज।

बनाम

1. भरतराज पुत्र नारान
2. भोजराज पुत्र नारान
3. राजेन्द्र पुत्र नारान
4. सुमित्राबाई पुत्री नारान
5. कालीबाई पुत्री नारान
6. जसवन्त बाई पुत्री नारान
7. कमली बाई बेवा नारान
8. रणजीत पुत्र राजाराम
9. सुरेश पुत्र राजाराम
10. कन्हैयालाल पुत्र सरवन
11. गुड्डी बाई पुत्री सरवन
12. तूफान पुत्र सेठानी

जाति बंजारा निवासीगण ग्राम किशनपुरा तह0 कनवास जिला कोटा (राज0)

13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188रा0टी0 एक्ट बाबत् हिस्सा दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

वादीगण की ओर से :– विद्वान अधिवक्ता – महेश कुमार मालव एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– नायब तहसीलदार कनवास जिला कोटा

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

गौतम एडवोकेट ने की। प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया राजीनामा निम्न प्रकार है–

1. यह की वादी गण प्रतिवादी गण 1 लगायत 7 के एवं प्रतिवादी नंबर 8, 9 के स्वर्गीय पिता राजाराम व प्रतिवादी नंबर 10, 11 के पिता सरवन व प्रतिवादी नबर 12 की स्वर्गीय माता सेठानी के संयुक्त खाते एवं कब्जे कास्त की आराजी माल ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का बारयाहेडी तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान मे खसरा नंबर 105 की 0.68 हेक्टेयर ,खसरा नंबर 108 की 0.62 है0, खसरा नंबर 96 की 0.32 है0 कुल किता 3 की कुल रकबा 1.62 हेक्टेयर आराजी स्थित है जो वादी नंबर 1 के पिता वह वादी नंबर 2 के दादा भवाना जी से आई है जिसमें सम्मत 2061 से 2064 की जमाबंदी में किसी का अलग अलग हिस्सा दर्ज नहीं हो रहा था लेकिन हाल ही बनी कंप्यूटर जमाबंदी में खातेदारन का गलत हिस्सा दर्ज कर दिया गया है। जिसे दुरस्त कर सही हिस्सा दर्ज करने में हम सभी पक्षकारन सहमत हैं वादी गण के वाद पत्र में मुताबिक सजरा हिस्सा दुरस्त कर दिया जावे जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। पेपली की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उसका नाम खाते से डिलीट किया जावे। तदोपरांत पटवारी हल्का से रिपोर्ट 7.07.2020 प्राप्त की जिसमें उसने हिस्सा दुरूस्त करने की अनुशंषा की।

2. यह की वादी नंबर 1 सोमा पुत्र भवाना का 1 / 5 हिस्सा, सरवन पुत्र भवाना का 1/ 5 हिस्सा, कमली पत्नी स्वर्गीय नारान का 1 /35 हिस्सा, कालीबाई पुत्री नारान का 1 / 35 हिस्सा, जसवंत भाई पुत्री नारायण का 1 /35 हिस्सा, भरत राज पुत्र नारायण का 1 /35 हिस्सा, भोज़राज पुत्र नारायण का 1/35 हिस्सा, राजेन्द्र पुत्र नारान का 1/35 हिस्सा, सुमित्रा पुत्री नारायण का 1/35 हिस्सा, स्वर्गीय राजा राम पुत्र भवाना का 1/ 5 हिस्सा, स्वर्गीय सेठानी पुत्री भवाना का (पटवान) का 1/5 हिस्सा, दर्ज किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में भी इसका स्पष्ट अंकन किया जावे।

3. यह कि यह राजीनामा सभी पक्षकारन ने राजी खुशी, स्वस्थ मस्तिष्क के, पूरी तरह सोच समझकर किया है जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है प्रस्तुत राजीनामा व वाद के साथ प्रस्तुत रिकॉर्ड व सह खातेदार पेपली बेवा भवाना का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति आदि से यह प्रमाणित है कि सह खातेदार पेपली की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान पहले से ही इस वाद में पक्ष कार हैं इसलिए पेपली का नाम खाते से डिलीट किया जावे व सरवन पुत्र भवाना की भी मृत्यु होना जाहिर है जिसके विधिक वारिस वादी क्रम 2 व प्रतिवादी क्रम 10,11 वाद में पक्षकार हैं प्रतिवादी क्रम 13 राजस्थान सरकार का जवाब जरिए नायब तहसीलदार कनवास प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली है प्रतिवादी क्रम 4, 5 ने आदेशिका दिनांक 07.01.20 के अनुसार सम्मन लेने से

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner

गलत तरीके से पंजीयन करवाने पर आमादा है तथा वह रजिस्ट्री करवाने के लिए आ चुके है तथा यदि वह ऐसा करने में सफल हो गये तो हमें हमारी हिस्सा आराजी से हाथ धोना पडेगा तथा हमारे परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जयेगी तथा साथ ही यह भी निवेदन किया कि खातेदार सरवन फोत हो चुका है जिसके वारिसान वादि क्रम 2 व प्रतिवादी क्रम 10,11 है, तथा राजाराम फोत हो गया है जिसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 8,9 है तथा खातेदारान सेठानी भी पोत हो चुकी है जिसका वारिस केवल प्रतिवादी क्रम 12 है जिन्हें इस वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया तथा खातेदार पेपली भी फोत होने से उसे पक्षकार नहीं बनाया है तथा पेपली के पोत होने के बाद शेष खातेदारान उसके विधिक वारीस होने से वह इस वाद मे पहले से ही पक्षकार बनाये जा चुके है। वाद कारण दिनांक 16.12.2019 को प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 द्वारा जबरन गलत तरीके से विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा की रजिस्ट्री कराने की धमकी देने व कनवास उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री लेकर आने पर उत्पन्न हुआ तथा तहसीलदार साहब कनवास द्वारा माननीय न्यायालय में दावा पेश करने की कहने पर उत्पन्न हुआ साथ ही वादी गण ने यह निवेदन किया कि वादी गण को यह विधिक अधिकार हासिल है कि वह माननीय न्यायालय से अपना हिस्सा दुरस्त करवाकर मुताबिक सजरा हिस्सा दर्ज करवा लेवे तथा प्रतिवादी गण 1 लगायत 13 को पाबंद करवा लेवें कि वह वाद पत्र के पैरा नंबर 1 में वर्णित आराजीयात को अपने गलत दर्ज हिस्से के आधार पर बिना हिस्सा दुरुस्त करवाएं कहीं रहन फरोख्त नहीं करें तथा ना ही उक्त आराजी के विक्रय का पंजीयन करवावे तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

वाद रजिस्टर किया गया प्रतिवादी गण की तलवी जारी की गई।

दिनांक 26.06.2020 को वादी गण द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि इस वाद में विवाद ग्रस्त आराजी के संबंध में वादी गण एवं प्रतिवादी गण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी समझाइश से राजीनामा हो गया है इसलिए पत्रावली को पूर्व निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 29.7.2020 से तलब कर राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे तत्पश्चात पत्रावली तलब कर प्रतिवादी गण 1,2,3,4,5,6,7,8,9 की ओर से श्री गिरिजा नंदन गौतम एडवोकेट ने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तत्पश्चात वादी व प्रतिवादी क्रम 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 के मध्य राजीनामा लोक अदालत की भावना से पेश किया। जिसे दोनों पक्षों ने सही एवं सत्य होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री महेश कुमार मालव एडवोकेट ने एवं प्रतिवादी गण की पहचान उसके अधिवक्ता श्री गिरिजा नंदन

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner

दिनांक 26.06.2020

वादीगण ने एक वाद उक्त कनवास का दिनांक 16.12..2019 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 7 के एवं प्रतिवादी कम–8,9 के स्व0 पिता राजाराम व प्रतिवादी कम 10, 11 के पिता सरवन व प्रतिवादी न0 12 की स्वं माता सेठानी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम किशनपुरा प0 ह0 बारयाहेडी तह0 कनवास जिला कोटा राज0 मे खसरा न0 105 की रकबा 0.68 है0 खसरा 108 की रकबा 0.62 है0, खसरा न0 96 की रकबा 0.32 है कुल किता 3 कि कुल रकबा 1.62 है0 आराजी स्थित है जो वादी कम 1 के पिता व वादी कम 2 के स्वर्गीय दादा भवाना जी से आई है0 तथा स्वर्गीय भवाना जी के वारिसान में सरवन नारान, सोमा राजाराम, थावरिया पुत्र व सेठानी पुत्री व पेपली बैवा थी जिसमें थावरिया पुत्र लाओलाद फोत होने से उसका नाम पूर्व में ही खाते से डिलीट किया जा चूका है तथा सरवन पुत्र भवाना भी फोत हो चुका है तथा उसके पुत्र वादी कम 2 उद्यम व प्रतिवादी कम 10 कन्हैयालाल पुत्र व प्रतिवादी कम 11 गुड्डी पुत्री है। एवं नारान पुत्र भवाना फोत हो चुका है। जिसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 लागयत 7 है, व राजाराम पुत्र भवाना भी फोत हो चुका है, जिसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 8 व 9 है, उक्त आराजी में समवत् 2061 से 2064 की जमाबंदी में किसी का हिस्सा दर्ज नहीं हो रहा है लेकिन इस वर्ष बनी चौसाला जमाबंदी समवत् 2073 से 2076 में सभी खातेदारान का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया है तथा नारान के वारिसान का प्रत्येक का 1/42, 1/42 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था लेकिन जमाबन्दी मे उनका प्रत्येक का 1/14–1/14 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है तथा वादी नम्बर 1 सोमा व श्रवन, राजाराम, सेठानी, पेपली का प्रत्येक का हिस्सा 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि पेपली के फोत होने के बावजूद उनका खाते में नाम दर्ज है, लेकिन इनका हिस्सा गलत तरीके से 1/10, 1/10 दर्ज कर दिया है, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 जो नारान के वारिसान है, इनकों सिर्फ इनके पिता का 1/6 हिस्सा ही मिलना चाहिए, अर्थात इनका 1/42,1/42 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था, वह गलत तरीके से 1/14 ,1/14 दर्ज कर दिया है, अर्थात नारान के वारिसान का कुल आराजी में 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी वादिगण को नारान के वारिसान द्वारा अपने गलत दर्ज हिस्से के आधार पर विक्रय का पजीयन कराने की धमकी देने पर दिनांक 12.12.2019 को हुआ तो वादीगण ने तुरन्त एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार साहब कनवास को दिया तथा हिस्सा दुरस्त करने का निवेदन किया लेकिन उन्होने हिस्सा दुरस्त नहीं किया तथा माननीय न्यायालय मे वाद पेश करने के लिए कहा। नारान के वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 अपना ज्यादा हिस्सा सहवन से दर्ज होने का फायदा उठाकर उसे बेचने पर आमादा हो रहे है तथा आज दिनांक उपपंजीयक कार्यालय कनवास मे विक्रय विलेख का

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner

इनकार किया व प्रतिवादी क्रम 11, 12 बाद तामिल सम्मन लौट आने के बाद लगातार अनुपस्थित है। अतः प्रतिवादी क्रम 4, 6, 10, 11, 12 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाकर दावा वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर इस आशय की इंद्राज दुरुस्ती की घोषणा की जाती है की माल ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का बारयाहेडी तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान के खाता संख्या नई 77 के खसरा नंबर 105 की रकबा 0.68 हेक्टर खसरा नंबर 108 की रकबा 0.62 हेक्टेयर खसरा नंबर 96 की रकबा 0.32 हेक्टेयर कुल किता 3 की कुल रकबा 1.62 हेक्टेयर आराजी में वादी कम–1 सोमा पुत्र भवाना को 1/5 हिस्सा, मृतक सरवन पुत्र भवाना के वारिस वादी क्रम [illegible] उधम पुत्र सरवन को 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 10 कन्हैया लाल पुत्र सरवन का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 11 गुड्डी पुत्री सरवन को 1/15 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 7 कमली बाई बेवा स्व नारान 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी कम 5 काली बाई पुत्री नारान का 1/35 , प्रतिवादी कम 6 जसवन्त बाई पुत्री नारान का 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी कम 1 भरतराज पुत्र नारान को 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी कम 2 भोजराज पुत्र नारान को 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी कम 3 राजेन्द्र पुत्र नारान को 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी कम 4 सुमित्रा पुत्री नारान को 1/35 हिस्सा, स्व. राजाराम पुत्र भवाना को 1/5 हिस्सा ,स्व. सेठानी पुत्री भवाना को 1/5 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। मुताबिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में इसका स्पष्ट अंकन हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2020 लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। खारजा रजिस्टर में अंकन हो।

उपखण्ड अधिकारी कनवास
कनवास जिला कोटा (राज०)
जिला कोटा

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बउनवान

1. सोमा पुत्र भवाना आयु 72 वर्ष
2. उद्यम पुत्र सरवन आयु 46 वर्ष

जाति बंजारा निवासीगण ग्राम किशनपुरा तह0 कनवास जिला कोटा राज।

बनाम

1. भरतराज पुत्र नारान
2. भोजराज पुत्र नारान
3. राजेन्द्र पुत्र नारान
4. सुमित्राबाई पुत्री नारान
5. कालीबाई पुत्री नारान
6. जसवन्त बाई पुत्री नारान
7. कमली बाई बेवा नारान
8. रणजीत पुत्र राजाराम
9. सुरेश पुत्र राजाराम
10. कन्हैयालाल पुत्र सरवन
11. गुड्डी बाई पुत्री सरवन
12. तूफान पुत्र सेठानी

    जाति बंजारा निवासीगण ग्राम किशनपुरा तह0 कनवास जिला कोटा (राज0)

13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188रा0टी0 एक्ट बाबत् हिस्सा दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 11/20 सन **2020** तारीख फैसला **26.06.2020 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री महेश कुमार मालव वादीगण** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 01 लगायत 12 स्वयं व प्रतिवादी नबंर 13 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का बास्याहेड़ी तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान के खाता संख्या नई 77 के खसरा नंबर 105 की रकबा 0.68 हेक्टर खसरा नंबर 108 की रकबा 0.62 हेक्टेयर खसरा नंबर 96 की रकबा 0.32 हेक्टेयर कुल किता 3 की कुल रकबा 1.62 हेक्टेयर आराजी में वादी कम–1 सोमा पुत्र भवाना को 1/5 हिस्सा, मृतक सरवन पुत्र भवाना के वारिस वादी क्रम एक उधम पुत्र सरवन को 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 10 कन्हैया लाल पुत्र सरवन का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 11 गुड्डी पुत्री सरवन को 1/15 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 7 कमली बाई बेवा स्व नारान 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी कम 5 काली बाई पुत्री नारान का 1/35 , प्रतिवादी कम 6 जसवन्त बाई पुत्री नारान का 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी कम 1 भरतराज पुत्र नारान को 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी कम 2 भोजराज पुत्र नारान को 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी कम 3 राजेन्द्र पुत्र नारान को 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी कम 4 सुमित्रा पुत्री नारान को 1/35 हिस्सा, स्व. राजाराम पुत्र भवाना को 1/5 हिस्सा ,स्व. सेठानी पुत्री भवाना को 1/5 हिस्सा का खातेदार कृषक

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

स्टाम्प अर्जीदावा	,,,,	----NIL----	
स्टाम्प वकालतनामा	,,,,		
स्टाम्प वजह सबूत	,,,,		
महनताना वकील	,,,,		
खर्चा गवाहान	,,,,		
फीस कमिश्नर	,,,,		
बाबत इजराय हुकमनामा	,,,,		
मुतफर्रिक	,,,,		
मीजान	,,,,		

Scanned by CamScanner